कार्यालय कलेक्टर (सत्कार शाखा) जिला भिण्ड (म0प्र0)

क्रमाक/क्यू/सत्कार/2011/ 7372 भिण्ड, दिनांक 04.5.11

प्रति,

प्रभारी अधिकारी
एन0आई0सी0 भिण्ड

विषयः–डाउनलोड करने बावत्।

संदर्भः–श्रीमान् कलेक्टर महो0 द्वारा लिखित आदेश दिनांक 30.04.2011

––00––

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि जिला सत्कार शाखा भिण्ड में प्रदेश के अतिथियों के भ्रमण हेतु गाड़ियॉ उपलब्ध कराये जाने के लिये निविदा आमत्रित करनी है। जिसका प्रारूप श्रीमान् कलेक्टर महो0 द्वारा अनुमोदन होकर प्राप्त ।

प्राप्त प्रारूपों को बेवसाईड पर डाउनलोड करने का कष्ट करें ताकि सभी जगह प्रसारण किया जा सके।

संलग्न–

1– विज्ञप्ति
2– आवेदन प्रारूप
3– निर्देश

डिप्टी कलेक्टर
जिला–भिण्ड

पृ0क्रमाक/क्यू/सत्कार/2011/ भिण्ड, दिनांक

प्रतिलिपि–

सहायक संचालक सूचना एवं प्रकाशन विभाग भिण्ड की ओर लेख है कि स्थानीय समाचार पत्रों में प्रेस नोट कराने का कष्ट करें।

Sd.
डिप्टी कलेक्टर
जिला–भिण्ड

कार्यालय कलेक्टर (सत्कार शाखा) जिला भिण्ड (म.प्र.)

भिण्ड दिनांक

//विज्ञप्ति//

एतद द्वारा सर्व साधारण /निजी ट्रेवल्स एजेंसियों/मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम को सूचित [illegible] जाता है कि जिला भिण्ड के राज्य अतिथि/ विशिष्ट अतिथियों के भ्रमण पर परिवहन तथा सुरक्षा [illegible] फालो हेतु वर्ष 2011–12 अनुबंध के आधार पर जीप/कार/मध्यम श्रेणी वाहन/SUV [illegible] प्रदाय करने तथा वाहनों का स्थानीय/बाहर जाना के अनुसार वाहन दरें दिनांक 11.5.11 तक [illegible] से 3.00 बजे तक कलेक्ट्रेट कार्यालय के सत्कार कक्ष में स्वय या डाक द्वारा बंद लिफाफे में निविदा [illegible] आवश्यक है। समय सीमा उपरात प्राप्त निविदा/दरों पर विचार नही किया जावेगा। [illegible] उक्त शाखा में अवलोकनार्थ देखी जा सकती है। प्राप्त निविदाओं के स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त [illegible] अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा। निविदायें दिनांक 11.5.11 दोपहर बाद 4.00 बजे कलेक्टर कार्यालय [illegible] की सत्कार शाखा में खोली जावेगी। निविदा निर्धारित प्रारुप पर ही मान्य की जावेगी। निविदा प्रपत्र [illegible] शाखा से 500/– रूपये की दर पर प्राप्त कर सकते हैं। www.bhind.nic.in से download किये [illegible] उपयोग किये जाने पर प्रत्येक निविदा के साथ 500/– का DD (Payable at Bhind) कलेक्टर भिण्ड [illegible] तैयार कर संलग्न करना अनिवार्य है।

क्र	वाहन स्वामी का नाम	वाहन का प्रकार	वाहन खरीदी का वर्ष	एसी/नॉन एसी	प्रतिदिन की दर प्रति किमी मे		दैनिक किराया 12 घण्टे से अधिक		[illegible]
					पीओएल सहित	पीओएल बिना	पीओएल सहित	पीओएल बिना	
			2009–10 2010–11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(कलेक्टर द्वारा अनुमोदित)

डिप्टी कलेक्टर
(पारसोकार)
जिला भिण्ड

पृक्र/क्यू/सत्कार/2011/ 7371

भिण्ड दिनांक 04.5.11

प्रतिलिपिः-

1. सहायक संचालक सूचना एवं प्रकाशन विभाग भिण्ड की ओर स्थानीय समाचार पत्रों में [illegible] निशुल्क प्रकाशन कराये जाने बाबत् ।
2. तहसीलदार (समस्त) भिण्ड/मेहगांव/रौन/गोहद/अटेर/लहार/मिहोना की ओर भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रचार–प्रसार करावें तथा तहसील कार्यालय की नोटिस बोर्ड पर [illegible] पालन प्रतिवेदन भेजें।

डिप्टी कलेक्टर
(पारसोकार)
जिला भिण्ड

satkar.letter/satkar folder/D

निविदा शर्तें

1 वाहन क्षेत्रीय कार्यालय में टैक्सी के रूप में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। वाहन सेवा कर [illegible] वाले वाहन के रूप में पंजीकृत होना चाहिये।

2 वाहन की प्रतिलीटर डीजल/पैट्रोल की औसत खपत 10 किमी से कम नही होगी इससे [illegible] औसत होने पर वाहन प्रदाता पर क्षतिपूर्ति की जबावदारी रहेगी।

3 किराये की अवधि में डीजल /पैट्रोल को छोडकर वाहन के संधारण में [illegible] बैटरी, टायर आदि के व्यय की संपूर्ण जिम्मेदारी वाहन प्रदाता की होगी।

4 यात्रा के दौरान वाहन दुर्गम स्थानो पर भी जायेगा। वाहन के ड्रायवर का यह कर्त्तव्य [illegible] उपयोगकर्ता अतिथि के आदेश का पालन करें।

5 वाहन सैल्फ स्टार्ट होना आवश्यक है। वाहन में अच्छी स्टेपनी अनिवार्य रूप से हो [illegible] पहिये टायर टयूब अच्छे होना चाहिये। वाहन का माइलोमीटर हमेशा चालू होना अनिवार्य [illegible] इसकी जिम्मेदारी वाहन प्रदाता की होगी।

6 वाहन प्रदाता को हर समय अपने ड्रायवर को कार्य करने के लिये तैयार रखने का [illegible] होगा। वाहन का Interior स्वच्छ एवं भव्य होना अनिवार्य है। वाहन चालक [illegible] विवेकशील होना अनिवार्य है।

7 वाहन मय ड्रायवर के उपलब्ध कराया जायेगा जिसके पास नियमानुसार वाहन चालक [illegible] ड्रायविंग लायसेंस होना अनिवार्य है एवं ड्रायवर का वेतन भत्ता जिसमें वाहन चालक के [illegible] एवं यात्रा भत्ता भी शामिल है वाहन प्रदाता स्वयं वहन करेगा।

8 वाहन प्रदाता के ड्रायवर को वाहन का बीमा, रजिस्ट्रेशन एवं वाहन से संबंधित [illegible] दस्तावेज साथ में रखने होगें।

9 वाहन के संबंध मे किसी भी प्रकार का विवाद होने पर उसके निराकरण का उत्तरदायित्व [illegible] प्रदाता का होगा एवं यदि कोई वैधानिक क्षतिपूर्ति न्यायालय द्वारा की जाती है तो [illegible] जबावदारी वाहन प्रदाता की होगी।

10 रास्ते में वाहन खराब होने की स्थिति में वाहन प्रदाता उपयोग करने वाले अतिथि के [illegible] के अंदर दूसरा वाहन उपलब्ध करावेगा एवं खराब हुये वाहन को गैरिज तक [illegible] उत्तरदायित्व वाहन प्रदाता का होगा।

11 निविदा स्वीकृत होने के उपरांत वाहन प्रदाता को 3 दिवस में रूपये 5000/- (पांच [illegible] रूपये) धरोहर राशि के रूप में जमा करनी होगी।

12 निविदा स्वीकृत होने के बाद निविदाकर्ता को अनुबंध करने से पूर्व सुरक्षा नियमों के [illegible] वाहन एवं ड्रायवर के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करना होगा।

13 वाहन पर Protocol शाखा के निर्देशानुसार लाल बत्ती/पीली बत्ती रखने [illegible] उत्तरदायित्व वाहन प्रदाता का होगा।

14 निविदा स्वीकृत होने एवं समय पर वाहन की आवश्यकता होने पर मांग के अनुसार नियत तिथि / समय तथा स्थान पर वाहन पहुंचाना अनिवार्य होगा।

15 वाहन 3 वर्ष से अधिक पुराना नही होना चाहिये।

16 वाहन प्रदाता वाहन के लिये संपर्क करने का पता भिण्ड नगर में ही निर्धारित करेगा।

17 सूचना के 1 घण्टे के अंदर वाहन उपलब्ध कराना वाहन प्रदाता के लिये अनिवार्य है

डिप्टी कलेक्टर
(सत्कार अधिकारी) जिला भिण्ड

satkar.letter/satkar folder/D

कार्यालय कलेक्टर (सत्कार शाखा) जिला भिण्ड (म.प्र.)

वाहन निविदा प्रदान हेतु आवेदन पत्र (निविदा प्रारूप)

1 वाहन स्वामी का नाम :– ....

2 वाहन स्वामी का पूर्ण पता :– ....

....

3 वाहन प्रदाता का मोबाइल नंबर :–...

4 भिण्ड नगर में संपर्क का पता :– ....

.... एवं मोबाइल नंबर ....

5 वाहन का मॉडल (किस वर्ष का) :– ....

6 वाहन का प्रकार :– ....

(इडिका / इडिगो / स्कार्पियो / बुलेरो / सफारी / क्वाइलो / अन्य ....)

7 वाहन प्रदाय हेतु दर (अंको में एवं शब्दों में) :–

4 घण्टे		8 घण्टे		12 घण्टे		1 दिन		1 सप्ताह		[illegible]
एसी	नॉन एसी	एसी	नॉन एसी	एसी	नॉन एसी	एसी	नॉन एसी	[illegible]	[illegible]	[illegible]

स्थान :–

दिनांक :–

[illegible]

वाहन प्रदाता का हस्ताक्षर एवं नाम

satkar.letter/satkar folder/D